इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 299] भोपाल, सोमवार, दिनांक 14 सितम्बर 2020—भाद्र 23, शक 1942

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2020

क्र. एफ—01—40—2018—सात—7.— मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, संभाग चम्बल के जिला भिण्ड की तहसील मेहगांव की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन तहसील अमायन का सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विर्निष्ट किये गये अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है.

"मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्ति या सुझाव लिखित में, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे :—

अनुसूची

क्र.	विद्यमान संभाग/ जिले/उपखण्ड/ तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन (विद्यमान संभाग/ जिले/उपखण्ड/ तहसील में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों का विवरण)	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् संभाग जिले/उपखण्ड/ तहसील एवं उसके मुख्यालय का नाम	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् संभाग जिले/उपखण्ड/ तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों का विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् संभाग/जिले/ उपखण्ड, तह— सील की सीमाएं	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	संभाग चम्बल जिला—भिण्ड तहसील—मेहगांव	अपवर्जित किये जाने वाला क्षेत्र—वर्तमान तहसील मेहगांव के	संभाग चम्बल जिला—भिण्ड तहसील—अमायन	समाविष्ट होने वाला क्षेत्र — नवीन तहसील अमायन में वर्तमान	पूर्व में तहसील रौन एवं मेहोना पश्चिम में तहसील	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	मुख्यालय–मेहगांव	पटवारी हल्का नम्बर 39 से 66 तक कुल 28 पटवारी हल्कों के 64 ग्राम अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील अमायन में समाविष्ट होंगे.	मुख्यालय–अमायन	तहसील मेहगांव के पटवारी हल्का नम्बर 39 से 66 तक कुल 28 पटवारी हल्कों के 64 ग्राम समाविष्ट होंगे.	मेहगावं, उत्तर में तहसील भिण्ड एवं दक्षिण में तहसील गोहद एवं तहसील सेवढ़ा जिला दतिया.	
2.	संभाग चम्बल जिला भिण्ड तहसील–मेहगांव मुख्यालय–मेहगांव.	सम्मिलित किये जाने वाला क्षेत्र – तहसील मेहगांव में शेष 38 पटवारी हल्कों के 81 ग्राम होंगे.	संभाग चम्बल जिला–भिण्ड तहसील–मेहगांव मुख्यालय–मेहगांव.	समाविष्ट होने वाला क्षेत्र– तहसील मेहगांव में शेष 38 पटवारी हल्कों के 81 ग्राम होंगे.	पूर्व में तहसील रौन एवं मेहोना, पश्चिम में तहसील मेहगावं, उत्तर में तहसील भिण्ड एवं दक्षिण में तहसील गोहद एवं तहसील सेवढ़ा जिला दतिया.	

2. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकान्त पाण्डेय, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2020.